दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आप.वि.वा. 781/2009 और आप.वि.आ. 2868/2009 (स्थगन)

सुरक्षित तिथिः 11.08.2009
निर्णय तिथि: 28.08.2009

मुरैफ कमर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री डी. सी. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री ई. अहमद, श्री राकेश भुगरा,अधिवक्ता

बनाम

राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जी. ई. वाहनवती, भारत की महान्यायवादी सुश्री मुक्ता गुप्ता, राज्य की वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री हरीश गुलाटी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिवक्ता

सह

आप.पु.या.107/2009 और आप.वि.आ.2539/2009

इरशाद अली उर्फ दीपक .... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम. सूफियान सिद्दीकी, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जी. ई. वाहनवती, भारत की महान्यायवादी सुश्री मुक्ता गुप्ता, राज्य की वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री हरीश गुलाटी,केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री मून चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं?
3. क्या डाइजेस्ट में निर्णय को प्रकाशित किया जाना चाहिए या नहीं?

: **मूल चंद गर्ग, न्या.**

1. ये याचिकाएं कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाती हैं अर्थातः-

i. क्या इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किसी भी आपराधिक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को निर्देश देने का अधिकार है।

ii. ऐसी जांच के हस्तांतरण के बाद सी.बी.आई. द्वारा समापन रिपोर्ट दाखिल करने का क्या प्रभाव पड़ता है।

iii. क्या यह आरोप-पत्र दायर करने वाली स्थानीय पुलिस (इस मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का स्थान लेती है।

iv. क्या दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ विद्वान अति.सत्र.नया. के समक्ष सी.बी.आई. द्वारा दायर समापन रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए सक्षम थी।

v. सी.बी.आई. द्वारा समापन रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ क्या हैं।

2. उपरोक्त दो याचिकाओं को दाखिल करने हेतु तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया गया हैं:

i. दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिनांक 09.02.2006 को भा.दं.सं. की धारा 121, 121-क, 122, 123, 120-ख के साथ सहपठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी सं. 10/2006 दर्ज की गई थी, एक कथित गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद कि याचिकाकर्ता शाम के समय जम्मू-कश्मीर सं. JK020299 की एसआरटीसी बस में भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों के साथ मुकरबा चौक के पास आने वाले थे, तो उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष प्रकोष्ठ का मामला है कि इसी आधार पर उन्होंने डी.डी. सं. 14 दर्ज किया और एक छापेमारी दल का गठन किया और फिर याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनका यह भी कहना है कि अपराह्न करीब साढ़े सात बजे उक्त बस करनाल बाईपास के पास मुकरबा चौक पर पहुंची। मुखबिर ने 2 लड़कों की ओर इशारा किया, जिन्हें पकड़ लिया गया और उनके नाम मौरीफ कमर और इरशाद अली बताये गए, जबकि मुरैफ कमर से एक चीनी पिस्तौल के साथ 8 जिन्दा कारतुस, तीन गैर-विद्युत डेटोनेटर, दो टाइमर बरामद किए गए, इरशाद अली उर्फ दीपक

से एक चीनी पिस्तौल के साथ 8 जिन्दा कारतुस, 2 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

ii. उस आधार पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के उप.नि. विनय त्यागी ने भा.दं.सं. की धारा 121,121-क, 122,123,120-ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध करने हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक रुक्का भेजा। इसके बाद, पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ, लोधी रोड, नई दिल्ली में प्राथमिकी सं. 10/2006 के माध्यम से मामला दर्ज किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी व्यक्तिगत तलाशी से उपरोक्त बस के टिकट भी बरामद किए गए। मामले की जांच के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चालान भी दायर किया.

iii. दिनांक 25.02.2006 को याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका सं. 501/2006 दायर की, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता को झूठे मामलों में फंसाने के लिए उनके घरों से उठा लिया गया था। यह तथ्य पुलिस की जानकारी में था क्योंकि उसी दिन अर्थात दिनांक 9.2.06 को एक याचिकाकर्ता के ठिकाने के बारे में पुलिस द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। बताया गया कि जिस समय की उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है उससे काफी पहले ही उन्हें उनके घरों से उठा लिया गया था और इस संबंध में स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मामले की जांच को सी.बी.आई. या किसी अन्य जांच एजेंसी को हस्तांतरित करने और दोषी पुलिस

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।

iv. विशेष प्रकोष्ठ को दिनांक 28.02.2006 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट/जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

v. इस मामले में चालान दिनांक 06.05.2006 को मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर किया गया था, जिसके आधार पर मु.म.दं. ने संज्ञान लिया और मामले को सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया।

vi. सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 04.07.2007 को विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने हेतु आगे के निर्देश दिए गए थे, जैसा कि बताया गया था, याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की तारीख से बहुत पहले उन्हें उनके घरों से उठाने हेतु लगाए गए आरोप सही थे।

vii. इस न्यायालय ने सी.बी.आई. को पूरे मामले में गहन जांच करने का निर्देश देते हुए आगे के आदेश भी पारित किए। दिनांक 24.10.2007 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> 24.10.2007
> रि.या.(आ.) सं. 501/2006
>
> इस मामले की आगे की जांच सी.बी.आई. द्वारा करने के लिए कहा गया था क्योंकि इस मामले में अभियुक्तों ने विशेष प्रकोष्ठ और आई.बी. के अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। अभियुक्त ने तीन पुलिस अधिकारियों के नाम दिए और साथ ही पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नंबर और अपना टेलीफोन नंबर आदि दिया।

जांच एजेंसी के खिलाफ अभियुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए, इस न्यायालय ने यह उचित समझा था कि अभियुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में एक स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच कराई जाए। यह आश्चर्य की बात है कि लगभग पिछले 18 महीनों की अवधि के बावजूद, इस मामले से जुड़े विभिन्न मोबाइल फोनों के कॉल विवरण सी.बी.आई. द्वारा एकत्र नहीं किए गए हैं और न ही सी.बी.आई. द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया है। सी.बी.आई. ने अभी तक उस जगह की पहचान नहीं की है जहाँ अभियुक्त ने आरोप लगाया था कि उसे 2 महीने तक रखा गया था। मामले की विचारण इस उम्मीद में आगे नहीं बढ़ रही है कि सी.बी.आई. विचारण न्यायालय के समक्ष पूरक रिपोर्ट या पूरक सामग्री दाखिल करेगी और अभियुक्त को मामले की निष्पक्ष जांच का मौका मिलेगा। हालाँकि, सी.बी.आई. द्वारा जिस गति से जांच की जा रही है, उससे पता चलता है कि सी.बी.आई. को केवल कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने में कई साल लग सकते हैं, जिन्हें संबंधित टेलीफोन सेवा प्रदाताओं से कुछ ही समय में एकत्र किया जा सकता है और कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण में भी कोई समय नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सी.बी.आई. ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सी.बी.आई. द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सी.बी.आई. ने या तो विचारण न्यायालय से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की या कुछ बयान दर्ज किए। जिस तरह से सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है वह पूरी तरह से असंतोषजनक है। मेरा मानना है चूंकि अभियुक्त जेल में है और विचारण में देरी हो रही है, इसलिए इस मामले की जांच जल्दी ही समाप्त होनी चाहिए। सी.बी.आई. को लगभग 4 सप्ताह की अवधि के भीतर मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल अवश्य करनी चाहिए।

दिनांक 9 मई, 2006 को जाँच सी.बी.आई. को सौंप दी गई थी। सी.बी.आई. ने 17 जुलाई, 2006 को 6 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की। आज हम अक्टूबर 2007 के अंत में हैं। डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है जब सी.बी.आई. ने इस मामले को बंद कर दिया है और अब तक परिणाम शून्य है। सी.बी.आई. को अपनी शिकायत में अभियुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में आज से 4 सप्ताह के भीतर अपना निष्कर्ष देना चाहिए और इस न्यायालय के समक्ष एक

रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। इस मामले को 28 नवंबर, 2007 को सूचीबद्ध करें।

शिव नारायण धींगरा, न्या.
24 अक्टूबर, 2007

viii. दिनांक 11.11.2008 को सी.बी.आई. ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी समापन रिपोर्ट दायर की, जिसमें दोनों याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त करने और विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों श्री विनय त्यागी, सुभाष वत्स और रविंद्र त्यागी के खिलाफ याचिकाकर्ता को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के संबंध में कार्रवाई शुरू करने की प्रार्थना की गई है।

ix. हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने सी.बी.आई. द्वारा दायर निरस्तीकरण रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और भा.द.सं. की धारा 173 के तहत दायर विशेष प्रकोष्ठ के रिपोर्ट पर भरोसा किया, दिनांक 13.02.2009 के आदेश के तहत सी.बी.आई. रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने हेतु दायर आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

x. यह उक्त आदेश के खिलाफ है, याचिकाकर्ता निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ इस न्यायालय के समक्ष आएः-

(क) प्राथमिकी सं. 10/2006 पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ में श्री एस.के.गौतम, अति.सत्र.न्याय., दिल्ली द्वारा दिनांक 13.02.2009 के पारित आदेश को रद्द करें।

(ख) प्राथमिकी सं. 10/2006 पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ के मामले में याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त करना।

(ग) प्राथमिकी सं. 10/2006, पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ से संबंधित विद्वान श्री एस.के.गौतम, अति.सत्र.न्याय., दिल्ली के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने हेतु।

(घ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे अन्य, आगे के आदेश (शों) पारित करें जिन्हें यह माननीय न्यायालय उचित और न्यायसंगत समझे।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2006, 04.07.07 और 24.10.07 द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद, विशेष प्रकोष्ठ में तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आलोक में इस मामले की जांच सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर दी गई, जिन्होंने समापन रिपोर्ट दायर की और विशेष प्रकोष्ठ के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की; इस न्यायालय के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद विशेष प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न अपराध करने का आरोप लगाया गया, और उस आधार पर, विशेष न्यायाधीश द्वारा सी.बी.आई. की रिपोर्ट की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किये गये हैं।

4. इस प्रकार, केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाली दो अलग-अलग जांच एजेंसियों अर्थात दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हितों के उपरोक्त टकराव को देखते हुए, दिनांक

01.07.2009 के आदेश के तहत महान्यायवादी से इस न्यायालय को संबोधित करने का अनुरोध किया गया था। इस न्यायालय को संबोधित करने के लिए विद्वान महान्यायवादी दिनांक 17.07.2009 को इस न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं:

> 1. दं.प्र.सं. में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डी.एस.पी.ई. अधिनियम) की अधिसूचना 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले को राज्य पुलिस से सी.बी.आई. को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर सकता है, यह उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुने गए मामले का विषय है। निर्णय की प्रतीक्षा है।
>
> 2. इसके बावजूद, विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर सी.बी.आई. से मामलों की जाँच अपने हाथ में लेने का अनुरोध/निर्देश देते रहे हैं। कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस बात पर प्रकाश डालता हो कि जब मामले सी.बी.आई. को हस्तांतरित किए जाते हैं तो क्या होता है।
>
> 3. अतः जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह इस प्रकार हैः
>
> इस तरह के हस्तांतरण का क्या प्रभाव पड़ता है?
>
> 4. जांच के इस तरह के हस्तांतरण के बाद, सी.बी.आई. मामले को संचालित करने और दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की जिम्मेदारी लेता है।
>
> 5. इसलिए, धारा 173 के तहत जब न्यायालय सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर विचार करती है, तो सी.बी.आई. अभियोजक एकमात्र व्यक्ति है (अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अतिरिक्त) जिसे न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है। (देखें, विनय कटियार बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, दिनांक 12.5.2008 के आप.पु.या.16/2007 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय)

6. इस प्रकार, न्यायालय राज्य लोक अभियोजक को तब नहीं सुन सका था जब मामला राज्य पुलिस के पास नहीं था। मामला सी.बी.आई. को हस्तांतरित होने के बाद राज्य लोक अभियोजक की इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी। उन्हें न्यायालय को संबोधित करने का अधिकार नहीं था। इसकी सुनवाई न्यायालय नहीं कर सकता था।

7. विद्वान विचारण न्यायालय इस गलतफहमी पर आगे बढ़ी है कि सी.बी.आई. को क्या करना चाहिए था और सी.बी.आई. ने वास्तव में क्या किया था। इसका निर्णय अत्यधिक असंतोषजनक है।

8. यह कई मायनों में गलत है, जो इस प्रकार हैं:

i. यह माना जाता है कि सी.बी.आई. आगे की जांच नहीं कर सकी। (पृष्ठ 127 के साथ सहपठित पृ. 121, देखें)

ii. ऐसा प्रतीत होता है कि उसने विशेष प्रकोष्ठ (दिल्ली पुलिस) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि सी.बी.आई. अपना मामला दर्ज नहीं कर सकती है (पृ.121)

iii. सी.बी.आई. ने जो किया उसके प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। विशेष प्रकोष्ठ जो पहले ही कर चुकी थी, उसे ख़त्म करने के लिए सी.बी.आई. ने कोई जाँच नहीं की (पृष्ठ 126)। यह प्रस्तुतिकरण पृष्ठ 116 पर स्वतंत्र रूप से टिप्पण किया गया है और पृष्ठ 126 पर दोहराया गया है।

iv. विचारण न्यायालय आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में गलत तारीख दी है। आरोप पत्र 6 मई 2006 को दाखिल किया गया था न कि 6 मई 2008 को। यदि आरोप-पत्र 6 मई 2008 को दायर किया गया था, तो यह पता चलता कि विशेष प्रकोष्ठ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जांच कर रहा था, जो कि वह स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती थी।

v. विचारण न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह से गलत समझा है और आगे की जांच हेतु मामलों को सी.बी.आई. को हस्तांतरित करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभाव की सराहना करने में विफल रहा है। (देखें, के. चन्द्रशेखर बनाम केरल राज्य (1998) 5 एससीसी 223 पृ. 237 पैरा 24, रामचन्द्रन बनाम आर. उदयकुमार और अन्य (2008) 5 एससीसी 413 पृ. 415 पैरा 7 (चन्द्रशेखर पर भरोसा किया) और काजी लेंडुप दोरजी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (1994) पूरक 2 एससीसी 116)

vi. विचारण न्यायालय यह भी समझने में विफल रही कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट विशेष प्रकोष्ठ की जांच नहीं थी, बल्कि मामले की जांच थी।

vii. यह पृष्ठ 117 पर विशेष प्रकोष्ठ के अधिकार क्षेत्र के संबंध में विवादों पर ध्यान देता है, लेकिन इसके आगे इस पर विचार नहीं करता है। मेरी राय में, यह मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू और मुख्य मुद्दा है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय को करना चाहिए।

5. जहां तक विशेष प्रकोष्ठ का संबंध है, दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ की ओर से उपस्थित सुश्री मुक्ता गुप्ता विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में जांच का हस्तांतरण सी.बी.आई. को नहीं किया गया है और केवल आगे की जांच करने की बात कही गई है। इस न्यायालय के दिनांक 04.08.2008 के आदेश को देखते हुए प्रस्तुतिकरण सही नहीं है जो निम्नानुसार है:

रि.या.(आप.)501/2006
04.08.2008

सीलबंद लिफाफे में दायर सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर न्यायालय ने गौर किया है। स्थिति रिपोर्ट को फिर से सील करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक 9.5.2006 के आदेश के अनुसार, इस मामले की जांच सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर दी गई थी, जिसमें मामले की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से मामले को अलग-अलग तारीखों पर सी.बी.आई. की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में रखा गया था। पहली स्थिति रिपोर्ट दिनांक 3.4.2006 को पेश की गई थी, दूसरी स्थिति रिपोर्ट दिनांक 31.8.2006 को व्याख्या पत्र के साथ पेश की गई थी, तीसरी स्थिति रिपोर्ट दिनांक 28.11.2007 को पेश की गई थी और चौथी स्थिति रिपोर्ट अर्थात अंतिम स्थिति रिपोर्ट दिनांक 24.3.2008 को इस न्यायालय में पेश की गई थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले की जांच पहले ही सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर दी गई है जो इस मामले में पूछताछ/जांच कर रही है और तथ्य यह भी है कि प्रत्यर्थी अपनी जांच पूरी करने के बाद पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुके हैं, जो श्री के.एस. मोही, अति.सत्र.नया., तीस हजारी न्यायालय में लंबित है, इस मामले की जांच को दिल्ली पुलिस से किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु याचिका में मांगे गए किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर दी गई है, जो जांच पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा ले सकती है।

रिट याचिका में दावा की गई दूसरी राहत उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने के लिए है जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज की, याचिकाकर्ता के भाई को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया। हालांकि, इस स्तर पर इस राहत का दावा नहीं किया जा सकता है जैसे कि मामला दर्ज करते समय और याचिकाकर्ता के भाई को गिरफ्तार करते समय या मामले की जांच करते समय किसी पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी की ओर से कोई त्रुटि या कदाचार या अभियुक्त को गलत फंसाया गया हो, मामले की सुनवाई के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा अभी तक यह सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसलिए, समय से पहले होने के कारण यह राहत नहीं दी जा सकती।

> हालांकि, याचिकाकर्ता को उचित स्तर पर कानून के अनुसार यदि कोई गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उचित न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता होगी।
>
> उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है।
>
> याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 4.7.2007 को निम्नलिखित शर्तों पर एक वचन दिया गया थाः
>
> "याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया कि जब तक सी.बी.आई. द्वारा जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे।"
>
> याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह वचन वर्तमान याचिका के निपटान को देखते हुए लागू नहीं रहेगा और यदि ऐसी सलाह दी जाती है तो आरोपी व्यक्ति जमानत हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
>
> अरुणा सुरेश न्या.
>
> 04 अगस्त, 2008

6. यह आदेश सुश्री मुक्ता गुप्ता के विचारों का समर्थन नहीं करता है। उनका आगे यह कहना कि विनय त्यागी परिवादी हैं, भी सही नहीं है। सी.बी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश गुलाटी ने भी हस्तक्षेप किया और सी.बी.आई. की रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि यह आरसी सं. 3(एस) 2007/एससीयूवी/एससीआर-11/सी.बी.आई./नई दिल्ली के पंजीकरण पर आधारित थी। दिनांक 27.07.2007 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के

अनुसार और इसलिए इस मामले में परिवादी उच्च न्यायालय था, न कि श्री विनय त्यागी, जैसा कि सुश्री मुक्ता गुप्ता ने अभिवाक किया था।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब इस न्यायालय द्वारा जांच को सी.बी.आई. को हस्तांतरित कर दिया गया और उस आधार पर सी.बी.आई. ने न केवल जांच को अपने हाथ में ले लिया, बल्कि एक समापन रिपोर्ट भी दायर की, तो यह केवल वही रिपोर्ट है जिस पर मामले में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचार करना होगा।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारिता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास निहित है, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी प्रयोग कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट पर विचार या उसकी अस्वीकृति उक्त रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और ऐसा करते समय विचारण न्यायाधीश को विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर रिपोर्ट से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

9. हालांकि, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विशेष प्रकोष्ठ की रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो इस न्यायालय के निर्देशों और सी.बी.आई. द्वारा दायर समापन रिपोर्ट के मद्देनजर है, जो याचिकाकर्ताओं को इस मामले में रिहा करने का आदेश देती है और विशेष

प्रकोष्ठ के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देती है, जो सही नहीं है।

10. इन परिस्थितियों में, उपरोक्त उठाए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:

i. बावजूद इसके दं.प्र.सं. में कोई प्रावधान नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को जांच को सी.बी.आई. को हस्तांतरित करने का निर्देश देने की अनुमति देते हुए इस न्यायालय के पास उचित मामलों में जांच के हस्तांतरण को निर्देशित करने का पर्याप्त क्षेत्राधिकार है। महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत मामले पर संविधान पीठ द्वारा कोई आदेश पारित किए जाने के बाद यह शक्ति निश्चित रूप से नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन तब तक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश लागू रहेंगे और जांच एजेंसी पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <u>निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 2009 एससी 984</u> मामले में दिये गये निर्णय के पैरा 36 का भी संदर्भ लिया जा सकता है। प्रासंगिक भाग यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> 36. सवाल यह है कि क्या न्यायालय सी.बी.आई. को राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में संज्ञेय अपराध की जांच करने हेतु आदेश दे सकता है, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समिति पश्चिम बंगाल और अन्य (2006) 12 एससीसी 534 के मामले में एक बड़ी पीठ को सन्दर्भित किया गया है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार किया कि वर्तमान कानून उच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति को मान्यता देता है।

ii. *के. चन्द्रशेखर बनाम केरल और अन्य 1998 (5) एससीसी 223 में संप्रकाशित* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए एक बार जब जांच सी.बी.आई. को हस्तांतरित हो जाती है तो केवल वही एजेंसी होती है जिसे आगे जांच करनी होती है, न कि दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ को। इस संबंध में, यह तर्क कि यह आगे की जांच या अतिरिक्त या पूरक जांच करने का आदेश था, कोई मायने नहीं रखता। आगे की जांच की रिपोर्ट का मतलब दं.प्र.सं. की धारा 173 की उप-धारा (8) के तहत जांच करना है। के. चन्द्रशेखर के मामले (पूर्वोक्त) में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ यहाँ पुन: प्रस्तुत की गई हैं:

> 24. उपरोक्त धारा को पढने से यह स्पष्ट है कि जांच पूरी होने पर उप-धारा (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने के बाद भी, पुलिस को उपधारा (8) के तहत 'आगे' जांच करने का अधिकार है, लेकिन 'नए सिरे से जांच करने' या 'पुनः जांच करने' का अधिकार नहीं है। यह कि केरल सरकार भी इस स्थिति के प्रति सचेत थी, इस

तथ्य से स्पष्ट होता है कि हालांकि शुरू में उसने दिनांक 27 जून, 1996 (पहले उद्धृत) की अपनी अधिसूचना के व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा था कि राज्य पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम द्वारा मामले की 'पुनः जांच' का आदेश देने के लिए सार्वजनिक हित में सहमति वापस ली जा रही थी, संशोधनकारी अधिसूचना (पहले उद्धृत) में यह स्पष्ट कर दिया कि वे 'मामले की पुनः जांच' के बजाय 'मामले की आगे की जांच' चाहते हैं। 'आगे' (जब एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है) का शब्दकोश अर्थ 'अतिरिक्त'; अधिक; पूरक है।' इसलिए 'आगे की' जांच पिछली जांच की निरंतरता है, न कि कोई नई जांच या दोबारा शुरू की जाने वाली जांच जो पहले की जांच को पूरी तरह से खत्म कर दे। इस निष्कर्ष को निकालने में हमने इस तथ्य से भी प्रेरणा ली है कि उप-धारा (8) में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि आगे की जांच पूरी होने पर जांच एजेंसी को मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच के दौरान प्राप्त 'अतिरिक्त' साक्ष्य के संबंध में एक 'अतिरिक्त' रिपोर्ट या रिपोर्टों को अग्रेषित करना - न कि नई रिपोर्ट या रिपोर्टों को। एक बार इसे स्वीकार कर लिया गया - और इसे काजी लेंडुप दोरजी, (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय को देखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए - कि अधिनियम की धारा 6 के तहत दी गई सहमति के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा की गई जांच सहमति वापस लेने के बावजूद पूरी की जानी है, और 'आगे की जांच' ऐसी जांच की एक निरंतरता है जो धारा 173 की उप-धारा (8) के तहत एक और पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होती है, इसका अनिवार्यतः यही अर्थ है कि मौजूदा मामले में सहमति वापस लेने से राज्य पुलिस को मामले की आगे की जांच करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसे अलग तरीके से कहें तो, यदि कोई आगे जांच की जानी है तो वह अकेला सी.बी.आई ही है, जो ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसलिए, राज्य पुलिस को मामले की आगे की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए सहमति वापस लेने के लिए जारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से अमान्य और कानून में अरक्षणीय नहीं है। हमारे इस निष्कर्ष को देखते हुए हमें इस सवाल पर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या साधारण खंड अधिनियम की धारा 21 अधिनियम की धारा 6 के तहत दी गई

> सहमति पर लागू होती है और क्या अपराध सं. 246/94 की जांच हेतु दी गई सहमति केरल राज्य द्वारा पहले दी गई सामान्य सहमति को देखते हुए अनावश्यक थी।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक बार सी.बी.आई. द्वारा रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद उक्त एजेंसी को इस मामले में जांच एजेंसी के रूप में माना जाना चाहिए।

12. इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें मुक्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को खारिज करने वाले दिनांक 13.02.2009 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। दिनांक 11.11.2008 को सी.बी.आई. द्वारा दायर समापन रिपोर्ट के आधार पर और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 और धारा 190 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों को सुनने के बाद मामले में आगे बढ़ने हेतु मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया है। यदि वह रिपोर्ट स्वीकार कर लेता है, तो गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उसके आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन मामला समाप्त हो सकता है। हालाँकि, अगर उन्हें लगता है कि सी.बी.आई. द्वारा दायर समापन रिपोर्ट के बावजूद, यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह इस मामले का निपटान करते समय इस न्यायालय ने जो कहा है उससे प्रभावित हुए बिना उचित आदेश पारित कर सकता है। एकमात्र शर्त यह होगी कि आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस मामले में विशेष प्रकोष्ठ की

रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकारों को 14 सितंबर, 2009 को विचारण न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना होगा।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटान कर दिया जाएगा। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो निरस्त किया जाता है। ।

मूल चंद गर्ग न्या.

28 अगस्त, 2009
एजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*